(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2362–तीन/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.12.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण कमांक 102/ अपील/1994–1995.

शिवराज सिंह पुत्र भगवान सिंह किरार
पचेखा तहसील कैलारस जिला
मुरैना म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

बृखभानसिंह पुत्र गजाधर सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम पचेखा तहसील कैलारस
जिला मुरैना म0प्र0

--- अनावेदक

आवेदक अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा
अनावेदक एक पक्षीय है

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2-5-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 102/ अपील/1994–1995 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2-प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि ग्राम पचेखा तहसील कैलारस जिला मुरैना में पटेल का पद रिक्त हो जाने के कारण पद पूर्ति हेतु अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। विज्ञप्ति प्रकाशन के बाद निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ताओं के द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटेल पद पर नियुक्ति करने से पूर्व समस्त ऑपचारिकताओं को पूर्ति करते हुये आदेश दिनांक 22.6.92 से निगरानीकर्ता को संहिता की धारा 222 के अन्तर्गत ग्राम पचेखा का स्थायी पटेल नियुक्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर बृखभान द्वारा अपील अपर कलेक्टर जिला मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। प्रकरण कमांक 37/91-92/अपील पर दर्ज करते हुये अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 4.3.95 से अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.92 निरस्त करते हुये प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक 102/अपील/94-95 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 27.12.01 से अस्वीकार की गयी । उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3- निगरानी मेमों में उठाये गये तथ्यों के संबंध में उभयपक्षकरों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका का परिशीलन किया गया।

4- अभिलेख के अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता की ग्राम पचेखा का स्थाई पटेल के पद पर नियुक्ति इस आधार पर की गई थी कि वह सबसे अधिक पढ़ा लिखा है तथा शारीरिक क्षमता ठीक है । प्रथम अपीलीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा पाया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र मय सहपत्रों के साथ जमा किये गये थे जिनमें तीनों ही उम्मीदवार ग्राम के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं

तथा 'शारीरिक क्षमता भी समान हैं जहां तक शैक्षणिक योग्यता का प्रश्न हैं तो संहिता की धारा 222 में ऐसा कोई उपबंध नहीं हैं कि उम्मीदवार अधिक पढ़ा लिखा हो, बल्कि यह प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवार पढ़ लिख सकता हो। अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा यह पाया कि तीनों उम्मीदवारों की योग्यताये तब ग्राम के अभिलिखित भूमिस्वामियों का अभिमत जाना जाना चाहिये । संहिता की धारा 222 के संबंध में निर्मित नियमों के नियम 8 के अनुसार अभिमत जानने के लिये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को वापिस भेजा गया। निगरानीकर्ता द्वारा इस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश में यह माना है कि अपर कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामियों की इच्छाओं को जानने के लिये प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किये जाने में कोई अनिमियतता नहीं की है । निगरानीकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के समक्ष अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्राप्त है ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2001 विधि सम्मत होने के कारण उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य न होने से यथावत रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर